न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 33/2020

प्रार्थी बनाम	अप्रार्थीगण
1. गुरदास सिंह पुत्र जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर। 2. कर्मजीत कौर बेवा जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर। 3. युवराज सिंह पुत्र हरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर। 4. गगनदीप कौर पुत्री हरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर।	1. काका सिंह उर्फ काकू सिंह पुत्र बग्गा सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर। 2. जगसीर सिंह पुत्र काका सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर। 3. सुखजिन्द्र सिंह पुत्र काका सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 10.06.2020

उपस्थित: 1.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता प्रार्थीगण

--निर्णय-- **दिनांक:** 18/03/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 43 जीजी खरलां की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 42 के मुरब्बा नम्बर 59 की कुल 3.350 हैक्टर नहरी भूमि में से प्रार्थी सख्या 1 के नाम 0.759 हैक्टर, प्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के नाम 0.759 हैक्टर, तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 प्रत्येक के नाम क्रमशः 0.759, 0.758 हैक्टर नहरी रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 43 जीजी खरलां की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 26 के मुरब्बा नम्बर 59 व 64/15 की कुल 2.695 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में से प्रार्थीगण सख्या 1 ता 4 के नाम कुल 1.334 हैक्टर रकबा तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम भी कुल 1.336 हैक्टर रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी चक के खाता संख्या 65 के मुरब्बा नम्बर 41, 53, 64/21 व 64/35 के कुल 8.299 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में प्रार्थीगण के नाम 1.474 हैक्टर तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 काकू सिंह के नाम 1.609 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण मृतक जस्सा सिंह उर्फ जसकरण सिंह तथा अप्रार्थीगण मृतक बग्गा सिंह के [illegible]। मृतक जस्सा सिंह व बग्गा सिंह आपस में सगे भाई थे। मृतक जस्सा सिंह के वारिसान [illegible] व प्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के पिता हरबक्श सिंह और अप्रार्थीगण संख्या 1 का[illegible] व काका सिंह के पिता बग्गा सिंह के मध्य प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि का पंचायती तौर प[र] दिनांक 22.05.2001 को घ[रू बंटवा]रा गवाहन बेअन्त सिह व दर्शन सिंह की मौजूदगी में किया गया था। जिसको तहरीर कर उस पर बग्गा सिंह, अप्रार्थी काका सिंह, दर्शन सिंह, बेअन्त सिह व प्रार्थी गुरदास सिंह तथा हरबक्श सिंह ने रजामन्दी से हस्ताक्षर किए थे। इस घरू बंटवारा के तहत चक 43 जीजी खरला के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,18,23,24,25 व मुरब्बा नम्बर 59 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:49 IST
Reason: SelfAttested

18/3/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

गुरदास सिंह बनाम काका सिंह उर्फ काकू सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 33/2020

किला नम्बर 1,2,3,4,5 का 1/4 हिस्सा रकबा अप्रार्थीगण अर्थात काका सिंह को दिया गया था और इसी चक के मुरब्बा नम्बर 59 के किला नम्बर 5 में 1/3 हिस्सा व किला नम्बर 6 ता 25 सालम-सालम कुल 17 बीघा 8 बिस्वा रकबा जस्सा सिंह यानि प्रार्थीगण को दिया गया। उक्त घरू बंटवारा भूमि की किस्मानुसार किया गया तथा उपर्युक्त वर्णित घरू बंटवारा को पक्षकारान ने अपनी राजी खुशी से स्वीकार किया। पिछले करीब 15 रोज से अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को एलानीया धमकीया दे रहे है कि अप्रार्थीगण दिनांक 22.05.2001 को किए गए घरू बंटवारा को नहीं मानते है और जमाबन्दी में दर्ज रकबा के अनुसार मुरब्बा नम्बर 59 की भूमि पर कब्जा करेगे। अप्रार्थीगण नाजायज तरीके से जबरदस्ती प्रार्थीगण को उनके कब्जाशुदा रकबा यानि मुरब्बा नम्बर 59 में से बेदखल कर नाजायज कब्जा करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गए तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा तुरन्त रोका जाना अति आवश्यक है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करके अर्ज है कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर जारी की जावें कि चक 43 जीजी के मुरब्बा नम्बर 59 के किला नम्बर 5 के 1/3 हिस्सा तथा 6 ता 25 सालम-सालम में जबरदस्ती नाजायज कब्जा कर प्रार्थीगण को भूमि में से बेदखल करने या करवाने से बाज व ममनू रहे। तथा प्रार्थीगण की उक्त कब्जा काश्त भूमि में किसी तरह की दखल अंदाजी करने या करवाने से निषिद्व रहे। व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस को विस्तारपूर्वक सुना। पत्रावली प्रार्थना पत्र, पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 चक 43 जीजी के खाता संख्या 42/42, खाता संख्या 26/26, खाता संख्या 65/65, घरू बंटवारा दिनांक 22.05.2001 का गहनतापूर्वक अध्ययन एंव अवलोकन करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अवलोकन किया। हम प्रकरण का निर्णयन निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर करना विधिसंगत समझते है:-

1.प्रथम दृष्टया मामला:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार प्राप्त हैं। चूंकि खाता संख्या 42, 26, 65 की कुल रकबा 14.029 हैक्टर [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में 4.326 हैक्टर तथा शेष अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] है। [illegible] प्रार्थीगण स्वंय अभिलिखित खातेदार काश्तकार है, तथा बाई मिट्टी [illegible] तजा न्यायालय में जैरकार है। प्रार्थीगण के हक हिस्से तक दावा डिक्री होने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अपने-अपने हक हिस्से तक प्रार्थीगण का साबित होता [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:49 IST
Reason: SelfAttested

2.सुविधा का संतुलन:- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी । चूकिं भू-अभिलेखों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि

18/3/21 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की अविभाजित आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण का कुल आराजी 14.029 हैक्टर में से 4.326 हैक्टर हिस्सा है, और यह मान्य सिद्धान्त है कि जब तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक सहखातेदारी भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर अपने हिस्से तक कब्जा माना जाता है, तथा वह उसके उपयोग एंव उपभोग में होता है। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष साबित होता है।

3.अपूरणीय क्षतिः- चूंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष के साबित हो चुके है। तथा साथ ही प्रार्थीगण द्वारा शपथपत्र पर यह कथन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान/हस्तातंरण किया जा सकता है। और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा होता है तो प्रकरण के सम्यक निर्णयन में जटिलता अवश्यंभावी आयेगी। क्योंकि बेचान/हस्तातंरण होने से नये खातेदार जुडेगें, वाद में नये पक्षकार संयाजित होगें। मौके की स्थिति में बदलाव हो सकता है। इसलिए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स वादपत्र को निर्धारित करने में जटिलता हो सकती है। इसलिए वर्तमान स्थिति को सुरक्षित रखा जाना प्रकरण के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसका प्रभाव प्रार्थीगण को होने की प्रबल आशंका है।

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार के रिकॉर्ड में परिवर्तन करने से वादीगण/प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में साबित होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने के कारण मूलवाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि चक 43 जी जी की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 42/42, 26/26, 65/65 की कुल 14.029 हैक्टर नहरी भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन न करें एवं न ही उक्त आराजी का बेचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करें पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:49 IST
Reason: SelfAttested

18/3/21
{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 18/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

18/3/21
{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर